पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 54/2019

अनवान :

1. मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. महावीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. भजना पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्ण पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सिलोचना पुत्री सुरजाराम पत्नी शिशपाल पुत्रवधु हरीराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा हाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. विमला पुत्री सुरजाराम पत्नी साहबराम पुत्रवधु हरीराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा हाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 श्री रविन्द्र मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ा खालसा के खाता सं0 63/63 के खसरा सं0 135/2 की 1.707 है0, खसरा सं0 171 की 2.985 है0, कुल 4.692 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पिता सुरजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा किंकराली के खाता सं0 143/140 के खसरा सं0 117/200 की 5.994 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि सुरजाराम के नाम दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 चारों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/4-1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि उपर वर्णित वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण सं0 1, 4, 5 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक के नाम 1/4-1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। ग्राम घोटड़ा खालसा खाता सं0 63/63 की शेष रही खसरा सं0 61 व 186/140 की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा
(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 54/2019

अनवान :

1. मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. महावीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. भजना पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्ण पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सिलोचना पुत्री सुरजाराम पत्नी शिशपाल पुत्रवधु हरीराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा हाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. विमला पुत्री सुरजाराम पत्नी साहबराम पुत्रवधु हरीराम जाति जाट निवासी घोटड़ा खालसा हाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : **वादीगण**

वकील श्री रविन्द्र मोठसरा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 16.08.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घोटड़ा खालसा के खाता सं0 63/63 के खसरा नं0 61 की 7.020 है0 खसरा सं0 135/2 की 1.707 है0, खसरा सं0 171 की 2.985 है0, खसरा सं0 186/140 की 2.757 है0 कुल 14.469 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पिता सुरजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा किंकराली के खाता सं0 143/140 के खसरा सं0 117/200 की 5.994 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि सुरजाराम के नाम दर्ज है।

प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता नन्दराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के साथ साथ वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वाहमी मौखिक रूप से हुए राजीनामा में प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम, प्रतिवादी सं0 4 सिलोचना व प्रतिवादी सं0 5 विमला ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में तर्क कर शुन्य कर लिया तथा वाद भूमि का कब्जा मौके पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को सम्भला दिया है। इसलिए उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी

सहायक कलक्टर 16.8.19
(फास्ट ट्रेक) भादरा

मनीराम का 1/4 हिस्सा वादी महावीर 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी भजना 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी कृष्ण 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादिया सं0 4 व 5 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 .6 पेरोकारराज ने जबाबदावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि रोही मौजा चक घोटडा खालसा के खाता सं0 63/63 की कुल 14.469 है0 एवं रोही किंकराली के खाता सं0 143/140 की 5.994 है बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी मनीराम 1/4 हिस्सा, वादी महावीर 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी भजना 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी कृष्ण 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ?

2. आया कि वाद भूमि दादालाई व पैत्रक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक निहित है।

साक्ष्य वादी में वादी मनीराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम घोटड़ा खालसा खाता सं0 63/63 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम किकराली खाता सं0 143/140 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम घोटड़ा खालसा प्रदर्श 4, 5, 6 व फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम किकराली सम्वत् 2020 प्रदर्श 7 व 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम को अपने पिता नन्दराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के साथ साथ वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया सं0 4 व 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम घोटड़ा खालसा व किकराली के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। हस्तगत वाद में दो तनकीयात कायम की गई है जो कि एक दूसरे पर आधारित है इसलिए दोनों तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जाना उचित है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम घोटड़ा खालसा प्रदर्श 4, 5, 6 व फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम किकराली सम्वत् 2020 प्रदर्श 7 व 8 प्रदर्शित करवाई जिनमें वाद भूमि वादी के दादा नन्दराम के नाम दर्ज है। किन्तु वर्तमान जमाबन्दी से मिलान करने पर गया कि ग्राम किकराली के खाता सं0 143/140 के खसरा सं0 117/200 व ग्राम घोटड़ा खालसा के खाता सं0 63/63 के खसरा सं0 171 व 135/2 का मिलान ही पुरानी दादालाई जमाबन्दी से हो पाया है इसलिए उपरोक्त वर्णित 3 खसरे ही दादालाई साबित है एवं ग्राम घोटडा खालसा के खाता सं0 63/63 के अन्य खसरा

16.8.17
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सं0 61 व 186/140 बाबत वादीगण ने कोई पुराना दादालाई रिकार्ड पेश नहीं किया है इस कारण उक्त दो खसरों को दादालाई पैत्रक कृषि भूमि साबित करने में वादीगण असफल रहे है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में सुरजाराम के वारिसान में पत्नि धोला देवी फौत होना, चार पुत्र महावीर, मनीराम, भजना, कृष्ण व दो पुत्रियां बिमला, सिलोचना मौजूद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार उक्त तनकीयात आंशिक तौर पर वादीगण के पक्ष में साबित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण दावा में सृजित दोनों तनकीयात को आंशिक तौर पर साबित करने में सफल रहे है।

अत : वाद वादीगण आंशिक तौर पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ा खालसा के खाता सं0 63/63 के खसरा सं0 135/2 की 1.707 है0, खसरा सं0 171 की 2.985 है0, कुल 4.692 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पिता सुरजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा किंकराली के खाता सं0 143/140 के खसरा सं0 117/200 की 5.994 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि सुरजाराम के नाम दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 चारों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि उपर वर्णित वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण सं0 1, 4, 5 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक के नाम 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। ग्राम घोटड़ा खालसा खाता सं0 63/63 की शेष रही खसरा सं0 61 व 186/140 की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.8.19

(सुखाराम पिपड़ेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़